

प्रेषक, इस प्राप्ति को मैंना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिचालन

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में, सचिव, अमेरिका 170 के अधीन होने के साथ-साथ यदि
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन०ओ०सी०/

/2014-15 दिनांक

6/1/2015

विषय :—आई०पी०एन०एस० सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल बैरहना धौकलगंज वाराणसी को सी०बी० एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहन का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

()

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, तथा भूमि के लीज डीड के सम्बन्ध में धारा 176 के अन्तिम निर्णय के अधीन होने के साथ-साथ यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा०(प्रदीप कुमार)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

वाराणसी मण्डल वाराणसी

प०सं० / एन०ओ०सी०

2021-27

/2014-15 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक, आई०पी०एन०एस० सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल बैरहना धौकलगंज वाराणसी
7. गार्ड फाइल हेतु।

4. संस्था द्वारा सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की गयी है।
5. संस्था के ऐसे एवं जिलागतीर कमीशनरी का जलजल सहायता प्राप्त है। वो जाह लोकप्रिय एजूकेशन नई ऐडेल्स/फैसल प्रबन्धनीय संस्थानों नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिवर्ती की जिमि जो उभयन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान प्राप्त अनुदान स्वतः संभाला हो जायेगा।
6. संस्था के ऐसे एवं जिलागतीर कमीशनरी का जलजल सहायता प्राप्त होता है।
7. वार्षिक विद्यालयों की अनुमत्य प्राप्तनाहों तथा अन्य भूतां से कम योग्यतावाल तथा अन्य नहीं मिले जायेंगे।
8. वार्षिक विद्यालयों की सेवा जाह लोकप्रिय जायेगी और उनके सहायता प्राप्त उद्यासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कमीशनरी का अनुकूल विवरणिति का लाभ उठाव कराया जायेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा सर्व-सेवा शी आयोग नियुक्त विद्या जाति वाराण उनका जारी कराया जायेगा।
10. विद्यालय का नियन्त्रण नियुक्ति प्राप्त परिवारों में रखा जायेगा।